राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5348/2022

प्रभु दयाल यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, शहीद रोहिताश लाम्बा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविंदपुरा, शाहपुरा, जिला जयपुर।
5. चैनसिंह खर्रा, वर्तमान वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौसला, थानागाजी, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.12.1990 को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेलना, बैराठ, जिला जयपुर में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर शहीद रोहिताश लाम्बा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविंदपुरा, शाहपुरा, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौसला, थानागाजी, जिला अलवर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर बिना किसी प्रशासनिक कारणों केवल

प्रत्यर्थी संख्या 5 को संमजित (accommodate) करने के उद्देश्य से दुरस्थ स्थान पर 50 कि.मी. दूर कर दिया गया है तथा आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया, जो विधि–विरूद्ध व मनमाना है। अपीलार्थी को योगकाल व यात्रा–भत्ता दिए जाने का अंकन है। अपीलार्थी स्वयं बवासीर तथा मस्सा की बीमारी से ग्रसित है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के वयोवृद्ध माता है, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, जिसका ईलाज निरन्तर चल रहा है (अनुलग्नक–4)। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में उनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है।

3. अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर शहीद रोहिताश लाम्बा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविंदपुरा, शाहपुरा, जिला जयपुर में रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर शहीद रोहिताश लाम्बा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविंदपुरा, शाहपुरा, जिला जयपुर में वर्ष 2018 कार्यरत है तथा आलौच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चौसाला, थानागाजी, जिला अलवर में किया गया है तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया, जो स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्ति आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं मानी जा सकती।

जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत कठिनाईयों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस

सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव (1995) 3 एस.सी.सी. 270 के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf.

यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

इसी प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समंजन (Accomodate) के सन्दर्भ में यह भी अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 50 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

6. पूर्वोक्त कारणों से अपीलार्थी की इस अपील में कोई बल होना नहीं पाया जाता। अतः अपीलार्थी बाबू लाल सैनी द्वारा फाईल की गयी यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्ता के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है।
7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य